हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2000 (द्वितीय बैठक)

खण्ड - 1, अंक - 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 9 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	(2)1
(सदन की मेज़ पर रखी गई प्रति)	
अध्यक्ष द्वारा सदन की मेज़ पर रखा गया कागज़-पत्र	(2)23
घोषणाएं-	
(क) अध्यक्ष द्वारा-	
चेयरपर्सनज़ के नामों की सूची	(2)24
(ख) सचिव द्वारा-	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(2)24
शोक प्रस्ताव	(2)25
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	
(i) नियम 30 के निलम्बन सम्बन्धी	(2)37
(ii) नियम 231, 233, 235 और 270 के निलम्बन सम्बन्धी	(2)39
सदन की मेज़ पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र	(2)41

मूल्य :

HVS/Lib/11
12/9/2k

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 9 मार्च, 2000(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 4.15 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज़ पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Vidhan Sabha today, the 9th March, 2000 at 2.30 P.M. under Article 176(1) of the Constitution of India.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

मैं, दसवीं हरियाणा विधान सभा के प्रथम सत्र में समस्त सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चुनावों में आपकी शानदार सफलता पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता ने इस आशा से आप में अपना विश्वास व्यक्त किया है कि आप उनकी आशाओं, महत्त्वाकाँक्षाओं को पूरा करने के लिये कार्य करेंगे। आपके इस शुभ प्रयास के लिये, मैं अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

दसवीं हरियाणा विधान सभा के हाल ही में हुये चुनाव अपनी अनेक विलक्षण विशेषताओं के लिये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जायेंगे। राज्य के 50 प्रतिशत विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में मतदान के लिये प्रथम बार इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया. परम्परागत मतपत्रों के मुद्रण, उनकी जांच करने, मतपेटियों में डालने के लिये मतपत्रों को जारी करने, मतपेटियों को लाने और मतपत्रों की एक-एक कर गणना करने से पूर्व उनकी सुरक्षा करने तथा श्रम-साध्य और समय नष्ट करने वाली तालिकाबद्ध मतगणना करने की जटिल प्रणाली को तिलाँजलि दे दी गई है। इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग से मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में एक क्रान्ति आई है और हरियाणा राज्य के मतदाताओं ने इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग बड़े चाव से किया है। दूसरे, अधिकाँश मतदाताओं

[श्री अध्यक्ष]

द्वारा फोटो पहचान-पत्र प्राप्त किये गये हैं, इन पहचान-पत्रों को वे मतदान केन्द्रों में लाये और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये दावा किया। तीसरे, समस्त चुनाव प्रक्रिया सुचारू, कुशलतापूर्वक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई जबकि इसके बिलकुल विपरीत अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान काफी हिंसा देखने को मिली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा हरियाणा की इस उपलब्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है और इसे देश के अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श चुनाव कहा गया है। मैं हरियाणा राज्य की जनता की, नयी सरकार को स्पष्ट जनादेश (Mandate) देने की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हूँ।

मेरी सरकार को हरियाणा की जनता के द्वारा दिये गये ठोस एवं निर्णायक जनादेश से इस बात कि स्पष्ट पुष्टि होती है कि राज्य की सरकार, जिसने सत्ता की बागडोर 24 जुलाई, 1999 को संभाली थी, की नीतियों, कार्यों तथा अनेक साहसी निर्णयों का जनता ने पूरा अनुमोदन किया है। इन निर्णयों में गन्ना उत्पादकों को 110 रुपये प्रति क्विंटल का उच्च प्रोत्साहन मूल्य देना, गन्ना पिराई के गत मौसम में सहकारी चीनी मिलों को सप्लाई किये गये गन्ने की अदायगियों के बकाये की 21 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी की समाप्ति तथा चालू गन्ना पिराई मौसम में गन्ने की सप्लाई पर साथ-साथ अदायगी, गन्ने के विकास के लिये निधियों का अधिक आबंटन, यूरिया की बोरी पर 10 रुपये प्रति बोरी तथा डी०ए०पी० खाद की बोरी पर 5 रुपये प्रति बोरी का प्रोत्साहन, उच्चतर फसल ऋणों का वितरण, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा तथा विकलांग पेंशन को दुगुना करना, अनुसूचित जातियों की कन्या को अपनी बेटी मान कर 5100 रुपये देने की 'कन्यादान' स्कीम, युद्ध स्तर पर सड़कों की मरम्मत का बृहद् कार्य आरम्भ करना, माइक्रो ग्रामीण विकास स्कीम क्रैश कार्यक्रम आरम्भ करना यथा गाँवों की गलियों को पक्का करना, विद्यालयों में कमरों, औषधालयों, पशु औषधालयों का निर्माण, जीर्ण-शीर्ण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की चौपालों की मरम्मत तथा गाँवों के पोखरों आदि की विशेष मरम्मत शामिल है, इन सभी कार्यों की जानकारी स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा आरम्भ किये गये नये कार्यक्रम 'सरकार आपके द्वार' के दौरान मिली। उत्तरी क्षेत्र में सितम्बर, 1999 से जनवरी, 2000 में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण हुई बिजली की कमी पर पूरी ताकत लगाना, चुँगी समाप्त करना, फालतू घोषित कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करना, मार्किट शुल्क को दो प्रतिशत से कम कर के एक प्रतिशत करना और दो प्रतिशत ग्रामीण विकास उपकर की समाप्ति जिससे किसानों पर बोझ चार प्रतिशत से कम हो कर एक प्रतिशत रह जायेगा, राज्य की विभिन्न मण्डियों में खुली बोली द्वारा प्लाटों की नीलामी की वर्तमान नीति की बजाय द्वितीय वर्ग के लाइसेंस-धारक आढ़तियों को अधिमान्यता मूल्य पर दुकानों के प्लाटों के नियतन की नीति आरम्भ करना, नयी विकसित मंडियों में लाइसेंस प्राप्त आढ़तियों को प्लाटों की युक्ति-युक्त अलॉटमैंट, बिक्रीकर नियमों का सरलीकरण, व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिये स्वयं कर निर्धारण स्कीम को लागू करना, नयी औद्योगिक नीति का आरम्भ करना तथा औद्योगिक प्लाटों के नियतन तथा अन्तरण सम्बन्धी नियमों तथा

विनियमों का सरलीकरण और इसी प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासी प्लाटों के नियतन तथा अन्तरण संबंधी नियमों का सरलीकरण, किसानों और कर्मचारियों के विरूद्ध बनाये गये क्रूर आपराधिक मामलों की वापसी, 7 करोड़ रुपये की सरकारी अनुदान की संस्वीकृति कर महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय का पुनरुद्धार, अध्यापकों के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि को दुगुना करना, कारगिल तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुये किसी अन्य स्थान पर अपने जीवन की आहुति देने वाले राज्य के शहीदों हेतु अनुग्रह राशि को दुगुनी कर 10 लाख रुपये करना तथा युद्ध के दौरान ज़ख्मी सैनिकों को दी जाने वाली राशि 3 लाख रुपये से बढ़ा कर 6 लाख रुपये करना और शहीदों के ओहदे की ओर ध्यान दिये बिना यह राशि देना तथा शोकाकुल परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार रोज़गार प्रदान करना, नशाबंदी के दौरान पंजीकृत 48664 आपराधिक मामलों को वापस लेना ताकि ऐसे युवाओं को नया जीवन आरम्भ करने का अवसर प्रदान किया जा सके तथा ऐसे बहुत से अन्य निर्णय शामिल हैं। मेरी सरकार द्वारा, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष कर दी गई है। नागरिकों की हितैषी सरकार चलाना एक अच्छा परिवर्तन है और स्पष्ट रूप से जनता द्वारा इस सरकार की सराहना की गई है। मेरी सरकार जनता के ठोस समर्थन और स्पष्ट जनादेश (Mandate) देने के लिये जनता का धन्यवाद करती है।

धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र की पावन धरती पर नयी सरकार द्वारा संविधान की मर्यादाओं को बनाये रखने तथा राज्य की समस्त जनता के कल्याण तथा समृद्धि के लिये कार्य करने की शपथ ली गई है। मेरी सरकार द्वारा चहुँमुखी विकास के लिये राज्य अवस्थापना (Infrastructure) के पुन: निर्माण के लिये नीति तैयार की गई है। इस नीति के अधीन विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार, जो राज्य में चारों ओर कैंसर की भांति फैल रहा है और इसके महत्त्वपूर्ण स्रोतों को नष्ट किये जा रहा है, पर काबू पाने के लिये सतर्कता, चातुर्य तथा तल्लीनता से कानून और व्यवस्था की स्थापना तथा हरियाणा का अभूतपूर्व विकास करते हुये क्रान्ति के युग में लाकर हरियाणा को संघ के समस्त राज्यों में एक आदर्श राज्य बनाया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, हरियाणा, चौधरी देवी लाल जी का स्वप्न शिशु है। हरियाणा राज्य उन्हीं की दूरदर्शिता तथा प्रयासों के कारण अस्तित्व में आया। मेरी सरकार उनके चहुँमुखी विकास दर्शन को कार्यरूप प्रदान करना चाहेगी। दुर्भाग्यवश, शाह आयोग की सिफारिशों से विचलित होते हुये हरियाणा के गठन के समय इसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। शाह आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि चण्डीगढ़ परियोजना सहित खरड़ तहसील को हिन्दी भाषी राज्य हरियाणा का हिस्सा बनाया जाये, क्योंकि मुख्यतया खरड़ तहसील की कुल जनसंख्या का 71.3 प्रतिशत तक जनता हिन्दी भाषी पाई गई थी। फाजिल्का तथा अबोहर तहसीलों के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाने से इन्कार कर दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

जब कभी इस उचित मांग को उठाया जाता है, इस मुद्दे पर काफी विवाद होता है। मेरी सरकार, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों तथा इनकी सरकारों के बीच व्याप्त सौहार्द तथा भ्रातृभाव से इस मुद्दे को हल करना चाहती है। इसी प्रकार जल तथा बिजली के महत्त्वपूर्ण मामले में हरियाणा को इसका देय हिस्सा नहीं मिला है। इराडी आयोग द्वारा, वर्षों के चिन्तन एवं सावधानी पूर्वक जांच के पश्चात् मामले में अपनी सिफारिशें की गई हैं। मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह इराडी आयोग की रिपोर्ट का शीघ्र कार्यान्वयन करवाये तथा बिना समय नष्ट किये परियोजना का शेष कार्य किसी केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण करवाते हुये सतलुज-यमुना योजक नहर को चालू करवाने हेतु प्रभावी उपाय करे।

माननीय सदस्यगण, वर्ष 2000 मानवता के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। इसी वर्ष सन् 1000 से आरम्भ होने वाली सहस्राब्दी सम्पन्न होती है तथा नयी सहस्राब्दी के आगमन के लिये स्वागत द्वार खुलता है। यह 21वीं शताब्दी का ध्वजारोहण तथा उद्घोषणा करता है और हमारे देश के करोड़ों लोगों के हृदय में बेहतर जीवन के शुरूआत की आशा की ज्योति को प्रज्वलित करता है। विश्व स्तर पर उदारीकरण की लहर चल रही है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रान्ति से व्यापार तथा वाणिज्य के परम्परागत साधनों में सम्पूर्ण परिवर्तन आ रहा है व देशों-राज्यों के इर्द-गिर्द बनाई गई अवरोधक दीवारें तेज़ी से समाप्त हो रही हैं। इससे वास्तव में समस्त विश्व सिकुड़ कर एक विश्वग्राम बनता जा रहा है। मानव हृदय में आशा की लहर हिलौरे ले रही है और विशेष रूप से युवाशक्ति में जोश उमड़ रहा है।

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास

मेरी सरकार विश्व के इस परिवर्तनशील वातावरण की चुनौतियों और खुलते अवसरों के प्रति पूर्णतया जागरूक है। इसका युवा शक्ति को रचनात्मक एवं उत्पादनशील कार्यों में शामिल करने तथा उनकी क्षमता-निर्माण की समस्या का समाधान करने तथा उद्यमों में उनकी कार्यकुशलता को विकसित करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार द्वारा हरियाणा को देशी तथा विदेशी उद्यमकर्त्ताओं हेतु एक सर्वोत्तम लक्ष्य स्थान बनाने के लिये भरसक प्रयास किये जायेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की बुनियादी अवस्थापना (Infrastructure) तैयार करने, गुणवत्ता जागरूक निर्यातोन्मुखी उद्योगों की स्थापना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु सुविचारित प्रयास किये जायेंगे। नयी औद्योगिक नीति को और परिमार्जित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा यह नीति गत वर्ष नवम्बर में प्रारम्भ की गई थी, ताकि नये निवेश प्राप्त किये जा सकें, औद्योगिक तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाये जा सकें तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। हाल ही में गठित 'आर्थिक विकास बोर्ड' इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। एकल खिड़की सेवा के माध्यम से ज़िला स्तर पर स्वीकृति देने की पद्धति को अधिक सशक्त व प्रभावी बनाया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों के लिये निरीक्षकों के दौरों को न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं तक

कम कर दिया गया है। राज्य द्वारा चुंगी समाप्त करने का क्रान्तिकारी उपाय करके व्यापार और वाणिज्य में आने वाली सभी वास्तविक बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। औद्योगिक निवेश के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक पता लगाया गया है। यह क्षेत्र इस प्रकार से होंगे :—

1. कृषि आधारित तथा खाद्य विधायन उद्योग।
2. इलैक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार।
3. आटोमोबाइल्स, आटोमोटिव कम्पोनैंटस और हल्के तथा मध्यम इंजीनियरी उद्योग।
4. हथकरघा, हौज़री, कपड़ा तथा वस्त्र निर्माण।
5. निर्यात प्रधान इकाइयाँ।

छोटे तथा मध्यम उद्यमकर्त्ताओं के लिये एक ''नवीकरण निधि'' की स्थापना की जा रही है ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी को स्तरोन्नत करने की सुविधा प्रदान की जा सके और विश्व स्तर के उच्च कोटि के माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिये उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक उद्यमों के लिये स्थल के विकास का एक महत्त्वाकाँक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में ऊँची किस्म की मूलभूत सेवायें मुहैया करवाई जायेंगी। इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर और बावल तथा अन्य औद्योगिक केन्द्र, उच्चकोटि की भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के आकर्षण स्थान बन रहे हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्यमियों को आबंटित करने हेतु 4000 एकड़ विकसित भूमि का ''भूमि बैंक'' बनाने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम नये उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिये अपनी क्षमता को निरन्तर बढ़ा रहा है।

हरियाणा वित्त निगम द्वारा स्वीकृतियों तथा ऋण वितरण करने के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करते हुये इस महत्त्वाकाँक्षी उद्यम में अपना पूर्ण योगदान दिया जायेगा। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई करके औद्योगिक इकाइयों की सहायता कर रहा है और हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम बुनकरों और शिल्पियों के उत्पादनों की समुचित बिक्री व्यवस्था करके उनको प्रोत्साहन दे रहा है।

सबके लिये बिजली

आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुनिश्चित एवं अच्छी बिजली सप्लाई पर निर्भर करता है। चिरकाल से बिजली की कम सप्लाई से राज्य की अर्थव्यवस्था को अभिशाप सा लग गया है। मेरी सरकार बिजली के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राज्य में बिजली की उपलब्धि और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि गत सात महीनों में तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा औसतन

[श्री अध्यक्ष]

58 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली सप्लाई की गई जोकि लगभग 16 प्रतिशत अधिक है। बिजली उपलब्धता में नया कीर्तिमान 25 सितम्बर, 1999 को स्थापित किया गया, जब राज्य को 518.40 लाख यूनिट बिजली की रिकार्ड सप्लाई की गई जबकि गत वर्ष अधिकतम 458.05 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई की गई थी। राज्य में सुधरी बिजली उपलब्धता के कारण ही शीतकालीन वर्षा बिलकुल न होने के बावजूद सिंचाई की आवश्यकता को पूरा किया जाना तथा रबी की फसल को बचाना संभव हुआ है।

बिजली की यह उपलब्धि मुख्यतः राज्य के अपने तापीय बिजली केन्द्रों द्वारा अधिक बिजली उत्पादन करने और फरीदाबाद गैस आधारित बिजली केन्द्र से अतिरिक्त बिजली प्राप्त होने के कारण संभव हुई है। राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम के फरीदाबाद में गैस पर आधारित पावर स्टेशन में 143-143 मैगावाट के दो यूनिट आरम्भ किये गये थे। जून 2000 तक 146 मैगावाट के तीसरे यूनिट के आरम्भ होने की भी संभावना है। अन-आबंटित केन्द्रीय पूल से कुल बिजली का आबंटन पूर्व के 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत बिजली करवाने हेतु विशेष प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम के आंटा गैस स्टेशन से हिस्सा बढ़वाया गया। इन दोनों कार्यों के परिणामस्वरूप हमारी उपलब्धता 10 लाख यूनिट प्रतिदिन बढ़ी है।

मेरी सरकार, नयी उत्पादन परियोजनाओं को सम्पन्न करवाने में पूरी शक्ति लगा रही है। पानीपत तापीय बिजली संयन्त्र की 210 मैगावाट की यूनिट-6, पानीपत की ही पुरानी चार 110 मैगावाट वाली मशीनों की संवृद्धि, भाखड़ा बिजली घरों तथा यमुनानगर तापीय बिजली संयन्त्र में 500 मैगावाट की कोयला आधारित नयी परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

मेरी सरकार बिजली की पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की ओर भी विशेष ध्यान दे रही है ताकि उपभोक्ताओं के लिये बिजली की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान 13 नए ग्रिड उप-केन्द्र आरम्भ किये गये हैं, 97 वर्तमान ग्रिड उप-केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन तथा 264 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली लाइनें बिछाई गई हैं। सोनीपत तथा पाला में 220 के०वी० वाले उप-केन्द्र तथा 220 के०वी० वाली अब्दुल्लापुर-यमुनानगर-शाहबाद लाइन पूर्ण किये गये मुख्य पारेषण कार्य हैं, जिससे राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम की बिजली के उपयोग में सहायता मिली है तथा यमुनानगर, शाहबाद, पेहवा, अम्बाला और पंचकूला के आसपास के क्षेत्र में वोल्टता और बिजली आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है।

बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार भी मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता कार्यसूची में शामिल हैं। 11 के०वी०वाले अत्यधिक अतिभार वाले 50 फीडरों का नवीकरण किया जा रहा है। 5950 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं तथा पुरानी तारों को बदला जा रहा है।

हरियाणा राज्य, बिजली क्षेत्र में सुधार तथा पुराने राज्य बिजली बोर्ड के पुनर्गठन करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है। एक स्वतन्त्र विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई है तथा पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को पृथक् उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों में विभाजित किया गया है। इन उपायों से न केवल इन विद्युत कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा बल्कि बिजली उपभोक्ताओं को सेवाओं में भी काफी सुधार होगा। मेरी सरकार का बिजली चोरी की समस्या के उन्मूलन हेतु अभियान चलाये जाने तथा वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु बिजली लेखा-परीक्षा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

सिंचाई-प्रणाली का जीर्णोद्धार

मेरी सरकार राज्य में विनाशकारी भीषण बाढ़ों की पुनरावृत्ति, जिससे गत समय में फसलों का विनाश हुआ और राज्य की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई, के प्रति अत्यधिक चिंन्तित है। मेरी सरकार इस विभीषिका का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिये वचनबद्ध है। निकट भविष्य में हरियाणा को बाढ़ निष्प्रभावी बनाने के लिये संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। राज्य से बाढ़ के जल को निकालने के लिये नालों को मॉनसून से पहले साफ किया जायेगा ताकि जल शीघ्र निकालने के लिये तैयारी हो सके। हिसार-घग्घर नाला नामक महत्त्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है ताकि घग्घर नदी के जल-क्षेत्र में आने वाले ज़िला कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा में जल निकालने की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बाढ़ राहत निर्माण-कार्यों तथा उपस्करों की जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे सब क्रियाशील हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सिंचाई क्षेत्र के महत्त्व पर अत्यधिक बल देने को नकारा नहीं जा सकता। एक अनुमान के अनुसार घरेलू औद्योगिक तथा वानिकी क्षेत्रों की सिंचाई मांग को पूरा करने हेतु राज्य को आगामी पांच वर्ष में लगभग 34 एम.ए.एफ. जल की आवश्यकता होगी। इस समय वर्तमान स्रोतों से उपलभ्यता 18.8 एम.ए.एफ. है, जिसमें स्तही जल का अंशदान लगभग 10.8 एम.ए.एफ. तथा शेष भूमिगत जल स्रोतों का अंशदान है। अतः जल संरक्षण और दूरदर्शी प्रबन्धन हमारी सिंचाई रणनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। नहरों के अन्तिम छोर तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई जल-मार्गों से समय-समय पर घासपात तथा गाद निकालने का कार्य किया जायेगा। हरियाणा जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत कच्ची नहरों के आधुनिकीकरण, वर्तमान पक्की नहरों की बहाली तथा पुराने सिंचाई ढांचे की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया तेज़ की जायेगी। जल-प्रबन्धन के सुधार के उपायों के रूप में नये रजवाहों के निर्माण तथा वर्तमान रजवाहों के विस्तार का कार्य आरम्भ किया जायेगा। तथापि, सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में वास्तविक सफलता केवल सतलुज-यमुना योजक नहर से राज्य के हिस्से का रावी-व्यास का जल मिलने पर ही प्राप्त होगी। मेरी सरकार हरियाणा राज्य की आर्थिकता के मूलाधार सतलुज-यमुना योजक नहर को आरम्भ करने के लिये भरसक प्रयास करेगी।

[श्री अध्यक्ष]

हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना की मूल परियोजनावधि दिसम्बर, 2000 में समाप्त हो रही है। परियोजना की अवधि को दो वर्ष बढ़ाने के लिये विश्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आशा है कि भारत सरकार के सक्रिय समर्थन से इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति मिल जायेगी। नयी बनी हिसार-घग्घर नाला परियोजना को इसमें शामिल करने हेतु इस परियोजना की पुनः संरचना का भी प्रस्ताव है, जिससे घग्घर नदी जलक्षेत्र में आने वाले कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा ज़िलों की जल-निकास समस्याओं का स्थायी समाधान हो जायेगा।

नये हथनीकुण्ड बैराज के निर्माण से पुराने ताजेवाला बैराज को बदलना संभव हो जायेगा। पश्चिमी यमुना नहर योजक जलमार्ग नामक एक नया जलमार्ग बनाया जा रहा है, इसके निर्माण के पश्चात् मॉनसून मौसम के दौरान 4000 क्यूसेक अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाये जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार, पथराला बांध का निर्माण-कार्य पूरे जोरों पर है। नया ओटू वीयर, जो पुराने ओटू वीयर का स्थान लेगा, वर्तमान वीयर से 1000 फुट अपवाह पर बनाया जा रहा है तथा नये वीयर का निर्माण-कार्य अक्तूबर, 2001 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। आवर्धन नहर का पुनर्निर्माण करने का भी प्रस्ताव है ताकि उसकी 4500 क्यूसेक की मूल जल वाहन क्षमता को बहाल किया जा सके, जोकि अब घटकर 2800 क्यूसेक रह गई है। यह निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की सम्भावना है और इससे दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।

मेरी सरकार रजवाहों के निर्माण तथा जल-निकास निर्माण-कार्यों को बढ़ाने के लिये नाबार्ड से प्राप्त सहायता का पूरी तरह उपयोग कर रही है। अब तक 350 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से लगभग 441 स्कीमें बनाई जा चुकी हैं। नाबार्ड सहायता-प्राप्त निर्माण-कार्यों में शामिल मुख्य स्कीमें, रिवाड़ी उठान सिंचाई स्कीम, भिवानी-दादरी नाला, मेहम-लाखनमाजरा नाला, बारसोला फीडर का निर्माण, इसराना वितरणिका और खानपुर रजवाहे के आवर्धन हेतु वाहक जलमार्ग का निर्माण, धुंदरी रजवाहे तथा फराल रजवाहे आदि के निर्माण हैं।

मेरी सरकार, भाखड़ा मुख्य लाइन और नरवाना शाखा की खोई हुई क्षमता को बहाल करने पर भी ज़ोर दे रही है। पंजाब सरकार द्वारा हमारे खर्च पर बहाली निर्माण-कार्य किया जा रहा है। पंजाब सरकार के पूर्ण सहयोग से न्यूनतम सम्भावित समय में यह निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा।

शहरी विकास

माननीय सदस्यगण, हरियाणा ने विशिष्ट वर्ग को न केवल औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपितु उन्हें यहाँ अपना घर बनाने के लिये भी आकर्षित किया है। गुड़गाँव तथा उसके इर्द-गिर्द बन रहे नये रिहायशी क्षेत्र अपने अद्वितीय परिवेश के कारण समूचे देश के लिये आदर्श बन गये हैं। मेरी सरकार का नगर आयोजना में नये विचार लाने और हरियाणा शहरी विकास

प्राधिकरण के कार्य में पुनः तेज़ी लाने का प्रस्ताव है। वास्तव में, न केवल राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास के क्षेत्रों में बल्कि राज्य के सभी मुख्य नगरों में बेहतर शहरी वातावरण सृजित करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार का, सभी नगरों के लिये शहरी विकास की सम्भावी योजना-2020 तक की परिकल्पना करने का प्रस्ताव है। यह एक बृहद् दस्तावेज़ होगा और इसमें सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त किया जायेगा, वर्तमान नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यों को गति प्रदान करने एवं इसे उपभोक्ता-हितैषी बनाने का प्रस्ताव है। सहकारी समूह आवास समितियां व कल्याण आवास संगठनों को बहुमंजिले फ्लैट बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कहा गया है कि वह इस द्वारा विकसित सैक्टरों का परिवेश बनाये रखने के साथ-साथ वर्तमान पर्यावरण में भी सुधार लाये। अतः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य नगरों में नगर-पार्क बनाये गये हैं और पंचकूला में एक सुन्दर गोल्फ कोर्स विकसित किया जायेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है और यह विद्यालय, डिस्पैंसरियाँ, क्लब तथा सामुदायिक केन्द्र तथा पुलिस थाने बनाकर सामाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

स्थानीय शासन

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर नागरिक सुविधाएं जुटाने की ओर विशेष ध्यान दे रही है। नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिये शहरी गन्दी-बस्तियों में पर्यावरण संबन्धी सुधार, राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम, छोटे तथा मध्यम नगरों का एकीकृत विकास जैसी विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं।

छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अन्तर्गत चरखी-दादरी, बरवाला, यमुनानगर और पेहवा नगरों के लिये 264.66 लाख रुपये की राशि दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य छोटे नगरों में बड़े नगरों जैसी सुविधायें देकर उन पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम करना है।

राज्य में पहले से चल रही तीन स्कीमों अर्थात् नेहरू रोज़गार योजना, शहरी निर्धन बुनियादी सेवा तथा प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर एक नयी केन्द्र-चालित स्कीम "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना" पहली दिसम्बर, 1997 से आरम्भ की गई है। यह स्कीम शहरी बेरोज़गार अथवा कम रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-रोज़गार उद्यमों की स्थापना करते हुये लाभकारी रोज़गार प्रदान करेगी। यह योजना उचित सामुदायिक संरचनाओं पर निर्भर होगी और सामुदायिक रोज़गार की आधारशिला पर पनपेगी।

कृषि

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की विकासशील प्राथमिकताओं में कृषि के लिये प्रमुख स्थान है। राज्य के मेहनती और जिम्मेवार किसानों के हित हमें बहुत प्रिय हैं।

[श्री अध्यक्ष]

चालू वित्त वर्ष 1999-2000 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 122.50 लाख टन रखा गया है, जिसमें 37 लाख टन खरीफ के लिये और 85.50 लाख टन रबी फसल के लिये है। इसी प्रकार गन्ने, कपास और तिलहन का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः गुड़ के रूप में 9 लाख टन, 12 लाख गांठे और 10.20 लाख टन रखा गया है। इस महत्त्वाकाँक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ताकि महत्त्वपूर्ण कृषि इन्पुट (input) पर्याप्त मात्रा में यथासमय उपलब्ध हो सकें। किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिये अच्छी किस्म के 3.94 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाये गये। वर्ष के दौरान लम्बे समय के सूखे के बावजूद बीजों के वितरण का स्तर वर्ष 1998-99 की उपलब्धियों के बराबर है। खरीफ 1999 के दौरान उर्वरक खपत 3.36 लाख टन पोषकतत्त्व रही और चालू रबी मौसम के दौरान खपत 5.35 लाख टन तक होने की सम्भावना है, इस प्रकार समूचे वर्ष के दौरान कुल 8.71 लाख टन खपत हुई है।

दुर्भाग्यवश, खरीफ 1999 के दौरान अत्यधिक कम वर्षा के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। राज्य में, विशेषकर दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में, सूखे जैसी स्थिति रही। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खरीफ 1999 के दौरान 30.70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो कि खरीफ 1998 के 31.54 लाख टन उत्पादन से थोड़ा सा कम है। चालू वर्ष के दौरान तिलहन का उत्पादन लगभग 7.19 लाख टन होने की आशा है जबकि गत वर्ष 6.42 लाख टन उत्पादन हुआ था। गन्ने का उत्पादन 8 लाख टन होने की आशा है जबकि गत वर्ष के दौरान 6.88 लाख टन उत्पादन हुआ था। कृषि की वृद्धि-प्राप्त विकास दर को बनाये रखने के लिये वर्ष 2000-2001 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 126.50 लाख टन नियत किया गया है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के उत्पादन की नियमित बिक्री के लिये उन्नत तथा सुलभ बाज़ार सुविधायें जुटाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं। वर्ष 1969 में बोर्ड के गठन के समय राज्य में केवल 58 मुख्य यार्ड और 60 उप-यार्ड थे। इस समय, बोर्ड के पास समूचे राज्य में फैले 105 मुख्य यार्ड 178 उप-यार्ड और 142 खरीद केन्द्र हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान मार्किट शुल्क के रूप में वसूल किये गये 100 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष के लिये 120 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।

सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करने के, मेरी सरकार के निर्णय के अनुसार हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 30 नवम्बर, 1999 तक 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को गड्ढा-रहित बना दिया गया।

मेरी सरकार द्वारा बागवानी के क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान 2100 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के फलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है, जिससे 17,600 टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है। चालू वर्ष के अन्त तक विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के अधीन लाये गये कुल क्षेत्र के 28,277 हैक्टेयर के प्रभावी स्तर तक पहुँच जाने की सम्भावना है, जिसमें 2.10 लाख टन उत्पादन होगा। आगामी

वित्त वर्ष के दौरान 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फलों की खेती के अधीन लाये जाने की योजना है। लगभग 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सब्जियों की खेती के अधीन है, जिसमें लगभग 19 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसी प्रकार, चालू वर्ष के दौरान खुम्भी की पैदावार बढ़कर 3600 टन हो जाने की सम्भावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान फूलों की खेती के अधीन क्षेत्र बढ़कर 2500 हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है।

मेरी सरकार किसानों को बेमौसमी सब्जियों और फूलों की पैदावार के लिये ग्रीन-हाऊस प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित कर रही है। अब तक 159 ग्रीन हाऊस स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2000-2001 में 12 और ग्रीन हाऊस बनाने का प्रस्ताव है। 12.50 करोड़ रुपये की लागत से उचानी करनाल में एक बागवानी प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, जिसमें संस्थान के अमले और किसानों की कार्यकुशलता तथा ज्ञान को अद्यतन किया जायेगा। यह केन्द्र जून, 2000 तक कार्य करना आरम्भ कर देगा।

सहकारिता

राज्य के सहकारिता क्षेत्र में कृषि तथा कृषि उद्योगों के अतिरिक्त चीनी मिल और डेरी विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। राज्य में 10 सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं, जिनकी कुल पिराई क्षमता 19550 टन प्रतिदिन है। राज्य में गन्ने के प्रतियोगी मूल्य की अदायगी में चीनी मिलें अग्रणी रही हैं तथा किसानों को दिया जा रहा गन्ने का मूल्य वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा निश्चित गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य से कहीं अधिक है। सरकार द्वारा राज्य में गन्ने की विभिन्न किस्मों का निर्धारित मूल्य 104 रुपये, 106 रुपये तथा 110 रुपये प्रति क्विंटल है तथा यह समझा जाता है कि ये मूल्य पूरे देश में सबसे अधिक है।

मेरी सरकार द्वारा सिरसा तथा सोनीपत ज़िलों में क्रमशः पन्नीवाला मोटा तथा आहुलाना के स्थान पर दो नई चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पन्नीवाला मोटा में चीनी मिल परियोजना की लागत 40 करोड़ रुपये होगी, जिसकी गन्ना पिराई की क्षमता 1750 टी.सी.डी. होगी जिसे बढ़ाकर 2500 टी.सी.डी. किया जा सकता है। इस मिल में गन्ना पिराई कार्य नवम्बर 2001 में आरम्भ होगा इस मिल से प्रदेश के 15000 किसानों को लाभ होगा। चीनी मिलों के कमानक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिये 141 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली गन्ना विकास योजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है।

आहुलाना में स्थापित की जाने वाली चीनी मिल की गन्ना पिराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. होगी। इस चीनी मिल परियोजना की अनुमानित लागत 55 करोड़ रुपये है। इस मिल में गन्ना पिराई कार्य नवम्बर, 2001 में आरम्भ होगा जिससे प्रदेश के 20,000 किसान लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार द्वारा सिरसा ज़िले में डीग और कालांवाली में दो नयी चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों मिलों के दिसम्बर, 2000 में आरम्भ हो जाने

[श्री अध्यक्ष]

की सम्भावना है तथा इन मिलों की विधायन क्षमता 4000 टन प्रति मौसम होगी। इन मिलों को स्थापित करने के लिये हैफेड द्वारा 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

हैफेड द्वारा 330 लाख रुपये की लागत से सकताखेड़ा, ज़िला सिरसा में एक पशुचारा संयन्त्र भी स्थापित किया जा रहा है। इस संयन्त्र की विधायन क्षमता 15,000 टन वार्षिक होगी। इस संयन्त्र के वर्ष 2001 तक शुरू हो जाने की सम्भावना है।

हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ ने दुग्ध उत्पादों के विधायन तथा उनके विपणन में प्रभावशाली प्रगति की है। इसके पांच दुग्ध संयंत्रों की विधायन क्षमता 4.70 लाख लिटर प्रतिदिन है। चालू मौसम के दौरान हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ के कार्य की प्रशंसा की गई है, क्योंकि इसने अब तक की सबसे अधिक 4.40 लाख लिटर दुग्ध प्रतिदिन अधिप्राप्ति करके पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ द्वारा वर्तमान दुग्ध संयंत्रो की विधायन क्षमता और अधिक बढ़ाने हेतु वर्ष 2000-2001 के लिये एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है। हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ ने दुग्ध अधिप्राप्ति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि की गई है। ग्रामीण स्तर की डेरी सहकारी समितियों की संख्या 2900 हो गई है जबकि गत वर्ष यह संख्या 2500 थी। दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये गये हैं। प्रथम अप्रैल, 1999 से 30 नवम्बर, 1999 के बीच अदा किया गया औसत मूल्य 10.78 रुपये प्रति लिटर था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मूल्य 9.88 रुपये प्रति लिटर था।

रोहतक और बल्लभगढ़ के दुग्ध संयन्त्रों को आई.एस.ओ.-9002 और आई.एस-15000 प्रमाणपत्र मिला हुआ है, जो कि गौरवशाली उपलब्धि है।

हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि. वर्तमान 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 2300 मिनी बैंकों के माध्यम से राज्य भर में ऋण सुविधायें प्रदान कर रहा है। इन 2300 मिनी बैंकों को ज़िला स्तर पर कार्यरत 17 केन्द्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि., नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करके तथा अपने संसाधनों द्वारा पर्याप्त ऋण सुविधायें प्रदान करता है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि. द्वारा राज्य स्तर पर 2214.38 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, 87 प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के प्रवर्तक सुसाध्यकारी तथा वित्तपोषक के रूप में कार्य कर रहा है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार बैंक ने 257.57 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक तीसरा ट्रैक्टर प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने, आय स्तर में वृद्धि तथा सम्पत्तियों के सृजन के

लिये विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही है। स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्व-रोज़गार योजना नामक एक नयी स्कीम प्रथम अप्रैल, 1999 से आरम्भ की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों के स्व-सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी तथा विपणन जैसे स्व-रोज़गार के सभी पहलू आते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक सहायता-प्राप्त परिवार को तीन वर्ष के अन्दर गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है।

इस वर्ष के दौरान जवाहर रोज़गार योजना की पुनः संरचना के बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरम्भ की गई है। यह स्थानीय स्तर पर परिसम्पत्ति सृजन स्कीम है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 2751.79 लाख रुपये का आबंटन किया गया है तथा दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 1633.81 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.83 लाख मानव-दिवस जुटाये गये हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 4581 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1535 मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1249.10 लाख रुपये के वार्षिक आबंटन में से 833.66 लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं।

रोज़गार के अतिरिक्त अवसर जुटाने तथा स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु रोज़गार आश्वासन स्कीम लागू की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के लिये किये गये 3037.98 लाख रुपये के आबंटन में से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिसम्बर,1999 के अन्त तक 1181.81 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

राज्य के शुष्क क्षेत्रों रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा तथा झज्जर ज़िलों में केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता से मरूस्थल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका तथा मरूस्थलीय स्थिति को नियन्त्रित करना है।

पूर्व वर्णित स्कीमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को राजस्व अर्जन स्कीम के अन्तर्गत उन प्रयोजनों हेतु ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है, जिन से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। मैचिंग ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों और अन्य संगठनों को उतनी मैचिंग ग्रांट दी जाती है, जितना कि उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिये जनता से अंशदान के रूप में इकट्ठा किया जाता है। तथापि, कन्या विद्यालयों और उनके छात्रावासों के मामले में राज्य सरकार द्वारा जनता के अंशदान के माध्यम से इकट्ठी की गई राशि का दुगुना दिया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान संशोधित बजट उपबन्ध जनता के हिस्से सहित 120 लाख रुपये है जबकि वर्ष 2000-2001 के लिये जनता के हिस्से सहित 225 लाख रुपये का उपबन्ध है।

वन

यद्यपि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है फिर भी कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 3.38 प्रतिशत क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र है। वन विभाग, कृषि-वानिकी के अन्तर्गत कृषि

[श्री अध्यक्ष]

फसलों के साथ-साथ विभिन्न किस्मों के वृक्ष लगाने, फार्म-वानिकी को अपनाने, घटिया किस्म की पंचायत भूमि पर अत्यधिक वनरोपण तथा गतिशील रेत के टीलों पर वनरोपण के एकीकरण के कारण लोगों की सक्रिय भागीदारी से राज्य में वृक्षाधीन क्षेत्र बढ़ाने में सफल रहा है। वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान 39,390 हैक्टेयर पंचायत भूमि पर यूरोपियन संघ द्वारा वित्तपोषित "अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमि की बुवाई" परियोजना के अधीन वनरोपण किया जा चुका है।

पर्यावरण

पर्यावरण की शुद्धता को बनाये रखना मेरी सरकार के लिये मुख्य चिन्ता का विषय है।

वाहन प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, अन्तर्राज्यीय प्रदूषण समस्या, मल-निकास परिशोधन संयंत्र और यमुना कार्य योजना जैसे मुख्य मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 996 औद्योगिक इकाइयों को मलनिस्राव परिशोधन संयन्त्र लगाने और 945 इकाइयों को 15 फरवरी, 2000 तक अपने यूनिटों में वायु-प्रदूषण नियन्त्रण उपाय करने के लिये प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।

पशु पालन

पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन में आनुवंशिकी सुधार लाने के लिये बहूद्देशीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2000 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिकी सुधार लाना है। कृत्रिम वीर्यसेचन कार्यक्रम को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ अच्छी किस्म के पशुओं का पता लगाया जा रहा है तथा उनके जर्मप्लाज़म को अधिप्राप्त तथा बढ़ाया जा रहा है। एम्बरॉय ट्रांसफर टैक्नॉलाजी को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा इसका विस्तार किया जायेगा। किसानों को आधुनिक प्रजनन तकनीक अपनाने के लिये शिक्षित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के क्रियाकलापों के लिये 373.5 लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

विभाग द्वारा ज़िलों तथा उपमण्डल स्तर पर प्रयोगशालायें बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। एक्सरे सुविधाओं जैसे रोग निदान के आधुनिक उपकरण भी मुहैया करवाये जायेंगे। राज्य में एक अपनी किस्म का पहला पॉलिक्लीनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

मछली पालन

हरियाणा राज्य में मछली पालन की अत्यधिक क्षमता है। वर्ष 1998-99 के दौरान मछली पालन विभाग द्वारा 1680 लाख मछली बीजों के स्टॉक से 32520 टन मछली उत्पादन किया गया। राज्य द्वारा 4049 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर औसत मछली उत्पादन किया गया जबकि राष्ट्रीय औसत 2202 किलोग्राम है।

राज्य के मछली पालन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य परिवेश-हितैषी ढंग से मछली पालन को प्रोत्साहन देना और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर मछली-पालकों को प्रशिक्षित करना है। विभाग द्वारा फरीदाबाद और पानीपत में मछली विपणन केन्द्र बनाये गये हैं और इस वित्त वर्ष के अन्त तक यमुनानगर में मछली बाज़ार बन कर तैयार हो जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राज्य में 7911 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 42,80,146 राशन कार्ड-धारक हैं और 2.09 करोड़ यूनिट हैं। सार्वजनिक वितरण सप्लाई लेने के लिये किसी भी उपभोक्ता को 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में एक पूर्ण उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राज्य के सभी ज़िलों में पूर्णकालिक ज़िला उपभोक्ता फोरम स्थापित किये गये हैं।

हरियाणा, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का बड़ा अभिदाता है। पंजाब के बाद इसका नाम दूसरे स्थान पर आता है। केन्द्रीय पूल में चावलों के मामले में इस का अभिदान 11 प्रतिशत है जबकि देश के उत्पादन में इस का हिस्सा 3 प्रतिशत है। खरीफ 1999-2000 के बिक्री के मौसम के दौरान 31 जनवरी, 2000 तक राज्य ने केन्द्रीय पूल में 7.21 लाख टन चावलों का अंशदान दिया। चालू खरीफ मौसम में लगभग 2.89 लाख टन और चावल का केन्द्रीय पूल में अंशदान दिये जाने की सम्भावना है जिससे कुल अंशदान 10 लाख मीट्रिक टन हो जायेगा। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी को रोकने के लिये मूल्य-वृद्धि पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

जन-स्वास्थ्य

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। चालू वित्त वर्ष में पेयजल उलब्धता का स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के कार्यक्रम के अतिरिक्त 350 गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मेरी सरकार के लिये प्रतिष्ठा की बात है कि 31 जनवरी, 2000 तक 275 गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाई जा चुकी है तथा 31 मार्च, 2000 तक शेष गांवों में भी जल आपूर्ति बढ़ने की आशा है।

भारत सरकार द्वारा 50 अनुपात 50 के आधार पर वित्तपोषित किये जा रहे त्वरित शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 नगरों के लिये 1467 लाख रुपये की लागत वाली स्कीमें तैयार की गई हैं। पेयजल सप्लाई का दर्जा बढ़ाया गया है जिससे सोहना, पटौदी, नारनौंद और कनीना में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मिलेगा। शेष सात नगरों अर्थात् बवानीखेड़ा, तावडू, रतिया, खरखौदा, उचाना, असंध और कलानौर में निर्माण-कार्य प्रगति पर है। अम्बाला सदर, कैथल, भिवानी के नगरों में पेयजल सप्लाई के संवर्धन के लिये भारत सरकार द्वारा 4970 लाख रुपये की राशि की एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

[श्री अध्यक्ष]

मेरी सरकार राज्य के छः नगरों, अर्थात् यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में मल-निस्सार परिशोधन संयन्त्र लगाने में भी अग्रणी रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल

मेरी सरकार अपनी जनता को बुनियादी एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देती है। हरियाणा की जनता को राज्य में 2299 उप-केन्द्रों, 401 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 44 अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

पोलियों को समाप्त करने के लिये मेरी सरकार द्वारा पल्स पोलियों प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। हरियाणा द्वारा प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग समाप्ति लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अनेक नियन्त्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया के रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। वर्ष 1976 के दौरान मलेरिया के रोगियों की संख्या 7.36 लाख के मुकाबले वर्ष 1999 के दौरान केवल 2600 रोगियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य था, जिसने हैपेटाइटिस-बी टीकाकरण के प्रतिरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर दन्त चिकित्सा सेवायें आरम्भ की गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग, राज्य में एड्स को फैलने से रोकने के लिये अत्यधिक प्रयत्नशील है। राज्य मुख्यालय पर एक एड्स केन्द्र की स्थापना की गई है। हरियाणा एड्स समिति फरवरी, 1998 से कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर परामर्श देकर राज्य में एड्स का स्वैच्छिक परीक्षण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा कमज़ोर वर्गों को अधिकार देने और निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किये गये हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पैंशन स्कीमों के अन्तर्गत 16372.91 लाख रुपये की राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है, इससे दस लाख से भी अधिक लोगों को लाभ होगा। मेरी सरकार द्वारा वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक पैंशन की दर 100 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास प्रति लाभानुभोगी कर दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा अशक्त व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विकलांग विद्यार्थियों को 100 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रतिमास तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को 150 रुपये प्रतिमास से लेकर 250 रुपये प्रतिमास तक बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है। नेत्रहीन कुर्सी बुनकरों को 1500 रुपये प्रतिमास की दर से रिटेनरशिप भत्ता दिया जा रहा है।

मेरी सरकार की वर्ष 1999-2000 के दौरान सिरसा में एक कुष्ठ आश्रम बनाने की योजना है। भारत सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक ज़िले में वृद्ध-गृह बनाने के लिये 30 लाख रुपये सहायतानुदान के रूप में दिये जायेंगे। अम्बाला में वृद्ध-गृह का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग विभाग द्वारा इन समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं। इस कार्य के लिये वर्ष 1999-2000 के दौरान 33.22 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की लड़कियों को अपनी बेटी मानते हुये उनके विवाह के अवसर पर कन्यादान के लिये एक नयी स्कीम 'कन्यादान' आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जातियों की लड़कियों के माता-पिता को 5100 रुपये की राशि दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किये गये हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जातियों के 12,000 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 6.50 करोड़ रुपये की राशि से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 2,100 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा राज्य के सभी 111 ग्रामीण विकास खण्डों तथा पांच शहरी नगरों में एकीकृत बाल विकास सेवायें स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 9.86 लाख बच्चों तथा 2.33 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पोषाहार प्रदान करने पर 3,099 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1999 तक 2.63 लाख गर्भवती महिलाओं को टैट्नस प्रतिरोधक टीके लगाने के अलावा क्रमशः 2.98 लाख, 2.92 लाख, 2.92 लाख तथा 2.80 लाख बच्चों को बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो तथा खसरा प्रतिरोधक टीके लगाए गये हैं।

'अपनी बेटी अपना धन' स्कीम जारी रखी जायेगी क्योंकि इसकी व्यापक स्तर पर प्रशंसा की गई है।

यू.एन.एफ.पी.ए. से सहायता-प्राप्त महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना, सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में हस्तक्षेप से महिलाओं के विकास तथा अधिकारिता हेतु महेन्द्रगढ़ ज़िले में तथा रिवाड़ी ज़िले के 70 गांवों में यू.एन.एफ.पी.ए. की 895.29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

विद्यालय जाने वाली लड़कियों को उत्साहित करने और उन्हें विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिये 28,835 लड़कियों को 300 रुपये प्रति छात्रा की दर से वर्दी, लेखन-सामग्री

[श्री अध्यक्ष]

और पुस्तक भत्ता दिया गया है तथा 18,268 छात्राओं को अनुपूरक अनुशिक्षण प्रदान किया गया है। यू.एन.एफ.पी.ए. इस परियोजना की सफल क्रियान्विति से संतुष्ट होकर इसे अधिक अवधि तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गया है।

मेरी सरकार ने राज्य महिला आयोग स्थापित करने की चिरकालिक जरूरत को पूरा कर दिया है। यह आयोग महिलाओं से सम्बन्धित विधायी तथा विभागीय नीतियों पर सरकार को परामर्श देने के लिये परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करेगा और महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिये सरकार और सार्वजनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठायेगा।

श्रम एवं रोजगार

माननीय सदस्यगण, राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी संशोधित करके 1,851.58 रुपये प्रतिमास की गई है, जो दिल्ली को छोड़कर इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।

नियोक्ताओं, श्रमिकों तथा आम जनता की जागृति में वृद्धि से राज्य में औद्योगिक सुरक्षा में उचित सुधार हुआ है। राज्य में दुर्घटनाओं की दर 0.91 प्रति हज़ार श्रमिक प्रतिवर्ष है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26 प्रति हज़ार है।

वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों और उनके आश्रितों को 20.88 लाख रुपये की राशि वितरित की जा रही है। राज्य कर्मचारी बीमा स्कीमों के अन्तर्गत 4.60 लाख औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल के लिये नवम्बर, 1999 तक 1,206.96 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम

मेरी सरकार का, विद्यालय सुविधाओं के विस्तार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का मुख्य लक्ष्य रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है जबकि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों का समेकन और विस्तार किया गया है।

इस समय प्रदेश में 10,399 प्राथमिक विद्यालय, 1,776 मिडल, 2,779 उच्च तथा 1,196 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 17.85 लाख लड़कियों सहित 40.08 लाख बच्चे दाखिल किये गये हैं। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उत्थान हेतु विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

माननीय सदस्यगण, यह गर्व की बात है कि लड़कियों का दाखिला 15.40 लाख से बढ़कर 17.85 लाख हो गया है। छात्राओं को विशेष अनुशिक्षण दिया गया है। जिन बच्चों के माता-पिता मैला ढोने के व्यवसाय में लगे हैं, उनके लिये विशेष छात्रवृत्ति का उपबन्ध किया गया है।

पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सभी ज़िले आ चुके हैं। साक्षरता परियोजनाओं के माध्यम से 'प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाये' कार्यक्रम से साक्षरता अभियान में सहायता मिली है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कुरुक्षेत्र तथा रिवाड़ी ज़िलों हेतु आप्रेशन बहाली कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। पंचकूला, सोनीपत, हिसार तथा जींद ज़िलों हेतु साक्षरता उपरांत कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 17.46 लाख बच्चों को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने के लिये सभी 111 सामुदायिक विकास खण्डों तथा शहरी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के समेकन और विस्तार हेतु ठोस उपाय किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 में एक गैर-सरकारी तथा दो राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। वर्ष 1999-2000 में गैर-सरकारी महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने पर अपेक्षित खर्च 94.66 करोड़ रुपये है। वर्ष 1999-2000 के दौरान विश्वविद्यालयों को 28.70 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। 164 महाविद्यालयों में महिला विकास अध्ययन-कक्षों की स्थापना की गई है। वर्ष 1999-2000 में 17 गैर-सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों में 30 नये पाठ्यक्रम व विषय आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी तथा हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य में साहित्यिक गतिविधियों के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं।

खेलकूद

खेलकूद विभाग 25 विभिन्न स्कीमों की सहायता से खेलकूद को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 1998 में बैंकाक में हुये 13वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला हाकी टीम में कप्तान प्रीतम ठाकरान सहित पांच खिलाड़ी हरियाणा राज्य के हैं। हैमर थ्रो में श्री शक्ति सिंह ने रजत पदक जीता। डिसकस थ्रो में श्री अनिल कुमार ने रजत पदक जीता और 13वें एशियाई खेलों में 4X400 मीटर रिले दौड़ में श्री जटा शंकर ने ताम्र पदक जीता। हरियाणा इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती तथा हाकी में राष्ट्रीय चैम्पियन रहा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम में तीन खिलाड़ी हरियाणा के थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा हरियाणा के छः खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिये गये हैं।

[श्री अध्यक्ष]

भवन एवं सड़कें

सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर करने के मेरी सरकार के दृढ़ निश्चय के अनुरूप सितम्बर, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि में 23 करोड़ रुपये की लागत से 7,000 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों को गड्ढा-रहित बनाया गया है।

सड़कों की विशेष मरम्मत तथा सुधार का कार्य भी पूरे ज़ोरों पर आरम्भ किया गया है। 31 जनवरी, 2000 तक 47 करोड़ रुपये की लागत से 2,083 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर उपसतही परत चढ़ाने, उनके सुदृढ़ीकरण तथा सुधार, उन्हें ऊँचा उठाने तथा पुनर्निर्माण का कार्य किया जा चुका है। इस वर्ष के दौरान 63 किलोमीटर लम्बी नयी सड़कें भी बनाई गई हैं।

वर्ष 2000-2001 के दौरान, हुडको से लिये जा रहे दो वर्ष में खर्च किये जाने वाले 321 करोड़ रुपये के ऋण से सड़कों की मरम्मत की गति तेज़ किये जाने की योजना है।

पूर्व वर्णित निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त, बी.ओ.टी. स्कीम के अन्तर्गत विकासक्षम परियोजनायें आरम्भ किया जाना सरकार के विचाराधीन है। बाटा चौक, फरीदाबाद में चार-मार्गी रेलवे उपरि पुल का निर्माण-कार्य प्रगति पर है, जिसके सितम्बर, 2000 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

नारनौल और भिवानी फेज़-II उप-मार्गों हेतु भूमि अर्जित करने के लिये अनुमान संस्वीकृत किये जा चुके हैं। झज्जर और ढाण्ड में उप-मार्ग निर्माणाधीन हैं तथा हिसार (दक्षिणी उप-मार्ग), ऐलनाबाद, जींद-भिवानी सड़क को जींद-हांसी सड़क से जोड़ने वाला व जींद-असंध सड़क को जींद-नरवाना सड़क से जोड़ने वाले दो उप-मार्ग, और सफीदों में असंध-सफीदों सड़क को सफीदों-जींद सड़क से जोड़ने वाला एक उप-मार्ग, सिद्धान्त रूप में स्वीकृत किये जा चुके हैं। सोनीपत में सोनीपत-रतधाना सड़क को मेरठ-सोनीपत सड़क से जोड़ने वाला उप-मार्ग प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है।

चालू वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान 1718.52 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 7 पुलों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन ने खर्च में कमी तथा अमला उत्पादकता के आधार पर सर्वोत्तम राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से एक होने की ख्याति अर्जित की है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार 3,638 बसें हैं जो अपने 20 आगारों तथा 17 उप-आगारों से 1,697 अन्तर्राज्यीय तथा अन्तः राज्यीय मार्गों पर प्रतिदिन लगभग 10.94 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 10.42 लाख यात्री सफर करते हैं।

परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने तथा प्रयोक्ता जनता को कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की दोहरी भूमिका कुशलतापूर्वक निभाने के लिये प्रयासरत है। व्यापक रूप से फैले प्रदूषण जांच-केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से विभाग के गश्ती दल, वाहनों द्वारा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच करके वायु की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत में कमी लाने में सहायता कर रहे हैं।

सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु बस चालकों की नेत्रदृष्टि की नियमित जांच के लिए प्रबन्ध किये गये हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में गति अधि-नियन्त्रक लगाने तथा अधिक गति से चलने वाले वाहनों का चालान करने जैसे उपाय पहले ही आरम्भ किये जा चुके हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की कार्यशालाओं का सुधार किया जा रहा है ताकि वाहनों में बार-बार होने वाली खराबी (Breakdown) से प्रयोक्ताओं को असुविधा न हो। इसके परिणामस्वरूप, वाहनों में होने वाली खराबी की घटनायें 1997-98 में 0.21 प्रति 10,000 किलोमीटर से घट कर अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि में 0.19 प्रति 10,000 किलोमीटर रह गई है। इसी प्रकार, दुर्घटना दर 1998-99 में 0.17 प्रति लाख किलोमीटर से घटकर अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि में 0.15 प्रति लाख किलोमीटर रह गई है।

हरियाणा राज्य परिवहन, जिसने पिछले कुछ समय से नयी बसें नहीं खरीदी हैं, ने पुराने वाहनों के बदलने का निर्णय लिया है तथा ऐसे बदलाव हेतु नये वाहन खरीदने की योजना है ताकि राज्य में जीर्ण-शीर्ण बसें न चलें।

अम्बाला छावनी में हाल ही में, एक नये बस अड्डे का निर्माण करके उसे चालू किया गया है। भिवानी तथा रोहतक में भी नये बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। राजौंद में भी एक तीन बेज़ बस अड्डा निर्माणाधीन है।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन द्वारा उत्कृष्ट पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद हरियाणा पर्यटन द्वारा राज्य भर में 46 आकर्षक पर्यटन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और इसका राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। हाल ही में समाप्त हुये 14वें सूरजकुण्ड शिल्प मेले में जम्मू एवं कश्मीर राज्य सर्वोपरि आकर्षण का केन्द्र था, इस मेले ने 5 लाख से भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जो कि एक कीर्तिमान है।

पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन के लिये मुख्य प्रक्रिया शुरू की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान गुड़गांव, रिवाड़ी, पिपली, रोहतक और मोरनी में अतिरिक्त कमरे किराये पर देना आरम्भ कर दिया गया है। करनाल में 9-होल गोल्फ कोर्स, पेहवा में एक यात्रिका तथा हांसी में एक नये पर्यटन केन्द्र द्वारा सेवा आरम्भ कर दी गई है। करनाल में ओयेसिस के प्रसिद्ध पर्यटक विश्राम स्थल पर सुविधाओं का स्तर बढ़ा दिया गया है।

[श्री अध्यक्ष]

इलैक्ट्रॉनिकी – सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 1986 में स्थापित इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का नाम अब इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रखा गया है। विभाग के लिये वर्ष 2000-2001 का योजनागत परिव्यय 300 लाख रुपये नियत किया गया है।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम द्वारा बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें इलैक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्य मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत समूचे राज्य में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, नारवेजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अन्तर्गत 'हारट्रॉन' द्वारा महिलाओं को रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

हारट्रॉन द्वारा हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में दर्ज़ मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र भी तैयार किये गये हैं।

हारट्रॉन द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सहयोग से गुड़गांव में एक इलैक्ट्रॉनिकी नगर विकसित किया गया है। हारट्रॉन द्वारा अम्बाला छावनी में एक उपकरण डिज़ाइन विकास तथा सुविधा केन्द्र और गुड़गांव में इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान विकास एवं सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।

कानून एवं व्यवस्था

जब से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिना सोचे समझे नशाबन्दी की नीति लागू की गई थी, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति व्यापक रूप से बिगड़ी है। इससे माफिया गिरोहों का आविर्भाव हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप युवक अपराधी बने। इससे हमारी कानून एवं व्यवस्था के वातावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा तथा हमारे राज्य की आधारभूत परिसम्पत्ति, अच्छी कानून एवं व्यवस्था, के वातावरण के संरक्षण के लिये सुविचारित सामूहिक कार्य करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार हर कीमत पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कृत-संकल्प है। पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ किया जायेगा तथा इसके आधुनिकीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे। अत्याधुनिक उपस्कर प्राप्त करने होंगे तथा बेहतर प्रभावशीलता और उच्चतर प्रोत्साहन हेतु सभी स्तरों के कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देना होगा। अच्छे कार्य तथा अपेक्षित निवारण हेतु बल की गतिशीलता में सुधार करना होगा। पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों का हरियाणा पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सीमा-पार की अपराधिक गतिविधियों का हमारे पर घातक प्रभाव पड़ा है। हमें अपने राज्य में आतंकवादी तथा अपराधिक घुसपैठ पर निगरानी रखनी होगी। मेरी सरकार इन खतरों के प्रति सजग है तथा खुफिया और कमांडो बलों को सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति हो रही है तथा अपराधी आधुनिक एवं नवीनतम उपस्करों का लाभ उठाते हैं। अतः पुलिस बल को अत्याधुनिक दूरसंचार यन्त्र प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पिछले सात महीनों में अपराधिक नर-हत्या तथा बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है तथा मेरी सरकार का प्रयास होगा कि अपराध नियन्त्रण हेतु उपाय जारी रखे जायें।

माननीय सदस्यगण, मैंने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रायः प्रशंसनीय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इनके कार्यान्वयन में शिथिलता अथवा दोष आ जाते हैं। मुख्य मंत्री सचिवालय तथा राज्य योजना बोर्ड में कार्यक्रम और नीतियों की मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिये एक रक्षी निकाय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली में व्याप्त सभी प्रकार के भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखी जाए। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की फाइलों की हलचल पर कड़ी नज़र रखी जायेगी और देरी तथा कर्मचारियों की पथभ्रष्टता के मामले में कार्यवाही की जायेगी। आशा की जाती है कि हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित लोकायुक्त बिल पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सहमति शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त होने पर लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में तुरंत कार्यवाही की जायेगी। मेरी सरकार स्वच्छ, पारदर्शी एवं कुशल प्रशासन देने के लिये वचनबद्ध है।

मेरी सरकार भारतीय नीतियों के कुलपिता चौधरी देवी लाल जी की इस उक्ति कि 'लोकराज लोकलाज से चलता है', में पुनः विश्वास व्यक्त करती है तथा स्वयं को ऐसे हरियाणा के सृजन हेतु पुनः समर्पित करती है जहां प्रत्येक नागरिक शान से जीवन व्यतीत करे तथा चहुँमुखी समृद्धि के फल का आनन्द ले तथा कोई बेरोज़गार न रहे, जहां किसान अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उत्पादन करें तथा अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त करें, जहां व्यापारी बिना किसी भय के वाणिज्यिक गतिविधियों में लगें, जहां उद्योगपति आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की देय सुविधाओं को प्राप्त करें और देसी उपक्रम से विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी और धन का सृजन करें, जहां सरकारी कर्मचारी समर्पण भाव से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें तथा राज्य में सुख, शान्ति और समृद्धि हो।

माननीय सदस्यगण, यह मेरी सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा है। इन मुद्दों पर आपका चिन्तन तथा रचनात्मक परिचर्चा अवश्य ही राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा हरियाणा की जनता की समस्याओं को हल करने में सहायक होगी।

मैं आपको अपनी शुभ कामनायें देता हूँ। आपका चिन्तन रचनात्मक तथा लाभप्रद हो।

अध्यक्ष द्वारा सदन की मेज़ पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I beg to lay on the table of the House a copy of the Election Commission of India Notification No. 308/HN-LA/2000, dated the 28th February, 2000, issued under section 73 of the Representation of the People Act, 1951.

[श्री अध्यक्ष]

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा-

चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairperson :—

1. Shri Ram Pal Majra, M.L.A
2. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A.
3. Shri Ajay Singh, M.L.A.
4. Shri Chander Bhatia, M.L.A.

(ख) सचिव द्वारा-

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Sessions held in July, 1998, January, 1999 and November, 1999 and have since been assented to by the *President/Governor.

विवरण

July Session, 1998

*1. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 1998.

January Session, 1999

*1. Guru Jambheswar University, Hisar (Amendment) Bill, 1999.

November Session, 1999

1. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1999.
2. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1999.
3. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1999.
4. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1999.
5. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 1999.

6. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 1999.

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ महान विभूतियां इस संसार से चली गई हैं उनमें से एक डाक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे।

यह सदन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुये दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेज़ी, हिन्दी और संस्कृत में एम०ए० के अलावा एल०एल०एम०, बार-एट-लॉ की डिग्रियां और लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राष्ट्रीयता के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्य मंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्त्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हुए देश के शासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वह 1984 से 1987 के दौरान आंध्र-प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के उप-राष्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद को सुशोभित किया। डॉ० शर्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्य निष्ठा, कड़ी मेहनत व नि:स्वार्थ सेवा भाव से ओत-प्रोत था।

उनके निधन से देश एक विशिष्ट शिक्षाविद्, प्रखर विद्वान, महान् स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा भारत के महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। जब वे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे उस वक्त मुझे हरियाणा विधान सभा में पदार्पण का अवसर मिला था। 1980 में उनके पड़ोस में मेरे पूज्य पिता चौ० देवी लाल जी एक कोठी में रहते थे, इन नाते भी मेरे उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। जब वे राज्य सभा के सदस्य के तौर पर उस सदन के चेयरमैन थे तब मुझे उनसे बहुत बार मिलने का अवसर मिला था। वे एक महान व्यक्तित्व के मालिक

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

थे। इन्सानियत के नाते उनका मुकाबला करने में बहुत दिक्कत और कठिनाई पेश आ सकती है। यह देश एक महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1908 में हुआ। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने 1940 में राजस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन शुरू किया। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग-पत्र देकर सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वह 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनसे नजदीक का रिश्ता था। वे एक महान् विचारधारा के मालिक थे। विशेष रूप से किसान के प्रति उनके दिल में एक तड़प थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है।

इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. सी एफ एन (वी एम) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला।
2. राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा।
3. हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव।
4. सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी।
5. राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर।
6. सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस।

इनके साथ-साथ देश के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध-सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर-सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा हृदय दुःख से भर जाता है परन्तु उन्होंने देश को जो गौरव दिलवाया है हमें उस पर गर्व है। इसके अलावा भी आज देश की सीमाओं पर निरन्तर इस प्रकार की झड़पें हो रही हैं और हरियाणा प्रदेश की वीर भूमि में पैदा होने वाले जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की महानता को बरकरार रखा। यह सदन उन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत्-शत् नमन करता है और उनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 19 फरवरी, 2000 को महाराष्ट्र में भूसावाल के नज़दीक पंजाब मेल गाड़ी में लगी आग तथा 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उन शहीदों और उन पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने डकैतों व असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए इस प्रदेश के लोगों की जान-माल की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण लाल शर्मा जो हरियाणा का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व भी करते रहे और वे भारतीय जनता पार्टी के वाईस प्रैजीडैंट थे, उनके निधन पर शोक प्रकट करता है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट के आई०ए०एस० औफिसर, श्री सुशील कुमार और आई०पी०एस० औफिसर श्री एस०के० सेठी के आकस्मिक निधन पर यह सदन संवेदना व्यक्त करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे एक डी०ई०टी०सी० श्री कर्म सिंह के आकस्मिक निधन पर भी यह सदन उनके शोक संतप्त परिवार के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता है। हमारे इस सदन के एक सम्मानित सदस्य श्री करतार सिंह भडाना के भाई संतोष सिंह भडाना का आकस्मिक निधन हो गया। उनका नाम शोक प्रस्ताव में दर्ज नहीं हो पाया। यह सदन उनके निधन पर भी उनके परिवार के सदस्यों के प्रति विशेषतौर से हमारे सम्मानित सदस्य श्री करतार सिंह भडाना और उनके बड़े भाई अवतार सिंह भडाना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस असहाय दुःख सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी संसार का नियम है कि संसार में जो इंसान पैदा होता है उसे जाना भी पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में आकर कुछ करके जाता है उसको संसार, देश और देश के लोग याद रखते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी उन याद रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी बहुत ही महान् व्यक्ति थे और बहुत ही उच्च विचार के थे। अध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर, 1999 को हुए इनके दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में एम.ए. के अलावा एल.एल.एम., बार-एट-लॉ की डिग्रियां और लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राष्ट्रीयता के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने "भारत छोड़ो आंदोलन" में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956

[श्री भजन लाल]

तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हुये देश के शासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वह 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के उप-राष्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई, 1992 से जुलाई, 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद को सुशोभित किया। डॉ0 शर्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्य निष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत प्रोत था। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वे लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी के जनरल सक्रेटरी भी रहे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उनसे जाति तौर पर भी मेरा बहुत वास्ता रहा है। वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाये वह कम है। उनके निधन से देश एक विशिष्ट शिक्षाविद्, प्रखर विद्वान, महान स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

चौधरी नेकी राम हमारे साथ मंत्री रहे और मेरे उनसे बहुत गहरे सम्बन्ध रहे। वे बहुत ही सुलझे हुए इन्सान थे। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1908 में हुआ। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने 1940 में राजस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन शुरू किया। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग-पत्र देकर सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वह 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। मैं भी उस समय 1968 में पहली बार विधानसभा का सदस्य चुन कर आया था।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के संदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा देश की एकता और अखण्डता के लिये साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ।

उन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं, सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, हवलदार सुदान

सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी, राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस इनके साथ-साथ देश के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध-सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर-सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा हृदय दुःख से भर जाता है परन्तु उन्होंने देश को जो गौरव दिलवाया है हमें उस पर गर्व हैं। इसके अतिरिक्त और भी देश के बहुत बहादुर जवान जो शहीद हुए, चाहे वे सीमाओं पर शहीद हुए, चाहे फौज में लड़ते-लड़ते शहीद हुए। मैं उनका स्मरण करते हुए उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मैं इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं 19 फरवरी, 2000 को महाराष्ट्र में भूसावाल के नजदीक पंजाब मेल गाड़ी में लगी आग तथा 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

जैसा कि अभी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने बताया कि हमारे हरियाणा के श्री सुशील कुमार, आई.ए.एस. औफिसर और श्री एस.के. सेठी, आई.पी.एस. अधिकारी तथा श्री करतार सिंह मड़ाना के बड़े भाई श्री संतोष का आकस्मिक निधन हो गया है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

कल ही शिमला के पास बस दुर्घटना में 45 लोगों की मृत्यु हुई है जो कि दुःखदायी है। इसे भी शोक प्रस्ताव की सूचि में शामिल कर लिया जाए। मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : ठीक है इसको भी शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में कुछ महान विभूतियां हमारे से जुदा हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 शंकर दयाल शर्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम.ए. के अलावा एल.एल.एम., बार-एट-लॉ की डिग्रियां और लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के

[श्री कृष्ण पाल]

संवैधानिक विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राष्ट्रीयता के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हुए देश के शासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वे 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के उप-राष्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई, 1992 से जुलाई, 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद को सुशोभित किया। डॉ. शर्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिभूति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्य निष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत-प्रोत था।

उनके निधन से देश के विशिष्ट शिक्षाविद्, प्रखर विद्वान, महान स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी व अपनी तरफ से उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ। इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार हैं। 1. सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, 2. राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, 3. हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, 4. सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी, 5. राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर तथा 6. सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस ।

इनके साथ-साथ देश के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध-सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर-सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा हृदय दुःख से भर जाता है परन्तु उन्होंने देश को जो गौरव दिलवाया है हमें उस पर गर्व है।

मैं इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से व अपनी तरफ से 19 फरवरी, 2000 को महाराष्ट्र में भूसावाल के नज़दीक पंजाब मेल गाड़ी में लगी आग या 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर रहे श्री कृष्णलाल शर्मा जो पार्लियामेंट में मेम्बर भी रहे और मंत्री भी रहे हैं, का भी निधन पिछले दिनों हो गया है। वे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। वे राजनीति में रह कर भी एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर अविवाहित रह कर पार्टी की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताया। उन्होंने कभी भी अपने परिवार के प्रति ध्यान नहीं दिया, वे हमेशा ही अपनी पार्टी के लिए कार्य करते रहे। आज ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में नहीं रही है उनके दुःखद निधन पर हम शोक प्रकट करते हैं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के साथी श्री करतार सिंह भडाना जी के बड़े भाई श्री संतोष जी का आकस्मिक निधन हो गया है। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुशील कुमार, आई.ए.एस. औफिसर और श्री एस.के. सेठी, आई.पी.एस. औफिसर के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, शिमला के नजदीक हुई बस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं मैं उनकी दुःखद मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूँ।

श्री बलवन्त सिंह (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव संख्या 3 में जिन शहीदों का वर्णन किया गया है उस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सूची में श्री महेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल, बी.एस.एफ. का नाम जो इस्माइला गांव का था, वह भी शहीद हुआ है, उसका नाम भी इनमें शामिल कर लिया जाये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : ठीक है इनका नाम भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले सैशन से अब तक के सैशन तक हमारे कई साथी हमें छोड़ कर चल गए हैं जिनमें से खासतौर पर डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी प्रमुख हैं। डॉ. शंकर दयाल शर्मा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी का निधन 26 दिसम्बर, 1999 को हुआ था। उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक विधि से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बार-एट-लॉ करके वहीं पर पढ़ाने लग गए। उसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर भी कार्य किया। उसके बाद "भारत छोड़ो आंदोलन" में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1952 से 1956 तक उस वक्त भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 1974 से 1977 तक वे केन्द्रीय मंत्री रहे और अपना उत्तरदायित्व कई मंत्रालयों में निभाते रहे। 1984 से 1987 तक आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और उसके बाद वे उप-राष्ट्रपति बन गए।

[श्री बंसी लाल]

वर्ष 1992 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। डॉ0 शंकर दयाल शर्मा जी एक महान व्यक्ति थे। वे शील स्वभाव, ईमानदार सच्चे और त्याग की मूर्ति थे। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। उनके बारे में मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत लौस हुआ है। करीब 25 साल तक मेरे उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। उनके परिवार के प्रति मैं भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। चौधरी नेकी राम जी हमारे भूतपूर्व सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के पिता थे और चौधरी नेकी राम स्वयं भी इस महान सदन के सदस्य तथा मेरी सरकार में मंत्री भी रहे। वे बहुत ही ईमानदार, लग्नशील और सच्चे व्यक्ति थे। उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के शहीद, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ। इन शहीदों का ब्यौरा इस प्रकार है । सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी (अम्बाला), राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, (सिरसा), हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द (भिवानी), राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, तथा सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस। मैं इन शहीदों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही महाराष्ट्र में भूसावाल के नज़दीक जो रेल दुर्घटना हुई उसमें मरे लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं श्री के.एल.शर्मा जो कि बी.जे.पी. के उपाध्यक्ष रहे उनके निधन पर भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मैं हरियाणा के दो अधिकारी श्री सुशील कुमार, आई.ए.एस. तथा श्री एस.के. सेठी, डी.जी.पी. की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूँ तथा उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। पिछले अधिवेशन के खत्म होने के बाद और इस अधिवेशन के बीच के समय में हमारे बीच से कई महान् विभूतियां चली गई हैं। मैं शंकर दयाल शर्मा जी के 26 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ था। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम.ए. के अलावा एल.एल.एम., बार-एट-लॉ की डिग्रियाँ और लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर भी रहे। छोटी उम्र में ही राष्ट्रीयता के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने "भारत छोड़ो आंदोलन" में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और इन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हुए देश के शासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी।

वे 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वे 1987 से 1992 तक भारत के उप-राष्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद को सुशोभित किया। डॉ0 शर्मा ईमानदारी, मानवता और गांदीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्य-निष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत-प्रोत था।

उनके निधन से देश एक विशिष्ट शिक्षाविद, प्रखर विद्वान, महान स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 1908 में हुआ था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने 1940 में राजस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन शुरू किया था। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग पत्र देकर सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वे 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ। इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :-सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी, राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा श्री के.एल.शर्मा जी जो कि बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेता थे और बहुत बड़े देश-भक्त थे। मैंने उनको बहुत ही नजदीक से देखा है। उन्होंने बाहरी दिल्ली से लोक सभा का चुनाव लड़ा था। अध्यक्ष महोदय, आज जहां पैसे का बोल बाला है। राजनैतिक पार्टियां पैसे के चक्र में अपना सब कुछ गंवा देती है। जब उन्होंने वह चुनाव लड़ा था तो उनके पास लाखों रुपये की राशि बच गई थी तो उन्होंने वह सारे का सारा पैसा अपनी पार्टी के कार्यालय में वापिस कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वे एक सच्चे देश भक्त थे लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से श्री सुशील कुमार जी, श्री एस. के. सेठी जी और हमारे सम्मानित साथी श्री करतार सिंह भडाना के भाई श्री संतोष भडाना जी के भी दुःखद निधन पर शोक प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो काफी लोग स्वर्ग सिधार गये हैं उनके बारे में मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवारों के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुये दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट हूँ।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम.ए. के अलावा एल.एल.एम., बार-एट-लॉ की डिग्रियां और लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संवैधानिक विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राष्ट्रीयता के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने "भारत छोड़ो आंदोलन" में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हुए देश के शासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वे 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे । वे 1987 से 1992 तक भारत के उप-राष्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद को सुशोभित किया । डॉ0 शर्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्य-निष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत-प्रोत था।

उनके निधन से देश एक विशिष्ट शिक्षाविद्, प्रखर विद्वान, महान स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्रशासक तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 1908 में हुआ था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने 1940 में राजस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन शुरू किया था। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग पत्र देकर सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वे 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ। इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :- सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, राईफल मैन राधे श्याम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी, राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, एवं सिपाही लश्कर सिंह, फरीदाबाद व इनके साथ-साथ देश के विभिन्न भागों से सेना, अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों के वीर सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुये हमारा हृदय दुख से भर जाता है परन्तु उन्होंने देश को जो गौरव दिलाया है हमें उस पर गर्व है।

मैं अपनी तरफ से व अपने दल की तरफ से इन महान वीर शहीदों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूँ तथा इनके परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व समस्त हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी की भावनाओं को, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, उसके साथ जोड़ता हूँ और परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और जो शोक संतप्त परिवार हैं उन तक हमारी भावनाएं सदन के माध्यम से पहुंचा दी जाएं।

श्री बिशन सिंह सैनी (जगाधरी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच से गई हैं उनके प्रति व उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मानीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां इस संसार से चली गई हैं। सबसे पहले मैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी का जिक्र करना चाहूँगा। वे 26 दिसम्बर, 1999 को हमारे बीच नहीं रहे। डॉ. साहब हमारे देश की महान विभूतियों में से एक थे वे भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। केन्द्र में मंत्री रहे। वे देश के उप-राष्ट्रपति व राष्ट्रपति रहे। वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने एम.ए., एल.एल.एम. तक की शिक्षा प्राप्त की। उनको देश की सभी मुख्य भाषाओं हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी का ज्ञान था। डाक्टरेट की उपाधि से भी उनको सम्मानित किया गया था। देश भक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में वे कई बार जेल भी गए और अनेकों प्रकार की यातनाएं सहीं। वे केन्द्रीय मंत्री भी रहे और पंजाब व महाराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वे अपनी ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारों के लिए मशहूर

[श्री अध्यक्ष]

रहे। उनके निधन से देश एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, योग्य प्रशासक और देश भक्त से वंचित हो गया है।

चौधरी नेकी राम जी 1968 में विधान सभा के सदस्य बने। 1970 में जब हम कालेज में पढ़ते थे तो उनको एक बार हमारे गांव में आने का मौका मिला था हमने उस समय उनको 17.00 बजे देखा था वह बहुत अच्छा बोलते थे। वे बहुत साफ छवि के इन्सान थे। उनका निधन होने से हरियाणा प्रदेश एक योग्य विधायक और अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। मुझे उन वीर सैनिकों की असामयिक शाहदात से बहुत दुख है। इन वीर सैनिकों ने देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ऐसे शहीदों की वजह से ही आज हमारे देश की आजादी बरकरार है और हमारा देश सुरक्षित है। उन शहीदों के लिए मैं धन-धन करता हूं। उनके परिवारों को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया, को मैं दण्डवत प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा 19 फरवरी, 2000 को महाराष्ट्र में भूसावल के नजदीक पंजाब मेल रेलगाड़ी में लगी आग और 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुये शक्तिशाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमारे साथी विधायक श्री करतार सिंह भडाना के भाई जिनका इलैक्शन के दौरान अचानक निधन हो गया और वे हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे साथी विधायक को इलैक्शन के दौरान अपने भाई के चले जाने का बहुत दुःख हुआ और हमारे प्रदेश को इससे बड़ा भारी नुक्सान हुआ। वे बड़े अच्छे और सादे इन्सान थे। उनके असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री के.एल. शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के मैम्बर थे। मुझे उनके साथ एक-दो बार सफर करने का मौका मिला। बहुत सीधे-सादे और सरल किस्म के इन्सान थे उनके निधन से देश एक बड़े देश भक्त और सुयोग्य इन्सान से वंचित हो गया है। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से इस सदन को बड़ा गहरा दुख हुआ है। इसके अलावा श्री सुशील कुमार, आई.ए.एस., श्री एस. के. सेठी., आई.पी.एस. और श्री कर्ण सिंह, डी.ई.टी.सी. के निधन से इस प्रदेश को बड़ा भारी दुख हुआ है। श्री सन्तोष सिंह और शिमला के पास एक बस दुर्घटना में मरने वाले कई भाइयों के परिवारों के प्रति यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। आज ऐसे कई शहरी हमारे बीच में नहीं रहे उनका नाम इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है। श्री बलवन्त सिंह मायना ने जो नाम बताया था वह भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उन शोक-संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी और दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

(i) नियम 30 के निलम्बन संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 suspend Rule-30

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).

Sir, I also beg to move—

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).

Mr. Speaker : Motion moved—

> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).
>
> and
>
> That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पत सिंह जी ने नान ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट करने का प्रस्ताव रखा है, मैं कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के बहुत विधायकगण पहली बार आए हैं और वे अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने देखा कि जिस दिन भी नान ओफिशियल डे होता था, उसको ओफिशियल डे में कंवर्ट कर दिया जाता था। नए सदस्य अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं, ऐसे कितने महत्व के विषय हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नान ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट नहीं करना चाहिए।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि आज सुबह से ही ओफिशियल डे चल रहा है। दलाल साहब आप काफी सीनियर मैम्बर हैं और स्टेट की पार्टी से हटकर राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य बन गए हैं, आपको तो इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि नान ओफिशियल बिजनैस हो तो नान ओफिशियल डे हैं वर्ना इसको ओफिशियल डे में कंवर्ट करना ही पड़ेगा। आज कोई नान ओफिशियल बिजनैस ही नहीं है क्योंकि वास्तव में आज ही हम सब मैम्बर बने हैं इसलिए इससे पहले वे कोई नान ओफिशियल बिजनैस दे भी नहीं सकते थे। इन मैम्बर्ज की तरफ से इस बारे में कोई रैजोल्यूशन आ भी नहीं सकता था।

[श्री सम्पत सिंह]

आज जब कोई नान ओफिशियल बिजनैस पैण्डिंग है ही नहीं तो इसको ओफिशियल डे में कंवर्ट तो करना ही पड़ेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में दो नान-ओफिशियल रैजोल्यूशंन भेजे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : हम उन रैजोल्यूशन को एग्जामिन कर लेंगें। क्योंकि आज नान ओफिशियल कार्य ही नहीं था इसलिए इसे ओफिशियल डे में कंवर्ट करना पड़ा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि यह इस सदन की परम्परा नहीं बननी चाहिए कि नान-ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट कर दें।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, जैसा कि अभी सम्पत सिंह जी ने बताया और मैं भी इनको अवगत कराना चाहता हूँ कि मीटिंग में विरोधी पक्ष के चौ0 भजन लाल जी थे, बिसला जी थे। हम सब ने खूब विचार करने के बाद यह तय किया कि चूंकि आज ही सभी सदस्यों ने विधायक के तौर पर ओथ ली है और ये आज से ही मैम्बर हुए हैं, इसलिए नान ओफिशियल कार्य कोई नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता और स्पीकर साहब का बड़प्पन देखें कि इतने शोर्ट नोटिस पर स्पीकर साहब ने नान ओफिशियल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट करने की इजाजत दे दी। इन को तो इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने कोई प्रस्ताव मूव करना है तो उसके लिए समय निर्धारित है। रूल्ज़ की किताब को पढ़कर इनको नोटिस देना चाहिए फिर नोटिस स्वीकार होगा और उस पर चर्चा होगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यहां तीन अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइन्दे बैठे हैं और ये तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये तीन ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका पूरे देश के अन्दर अस्तित्व है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों से हम तीनों को चुनकर इसलिए भेजा है कि हम यहां उन लोगों की समस्याओं को यहां पर उठायेंगे और उनकी सेवा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में हमारा एक नुमाईंदा होना चाहिए। हम अपनी तरफ से किसी भी एक सदस्य का नाम आपको बता देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बार विधान सभा का सदस्य चुनकर आये माननीय साथी कर्ण सिंह दलाल जी को बताना चाहूंगा कि रूल-30 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में कनवर्ट किया जा सकता है। ऐसा पहले भी होता रहा है अब यह कोई नई परम्परा नहीं डल रही है। (शोर)

डा0 जय प्रकाश शर्मा (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य राष्ट्रीय पार्टियों से चुनाव जीतकर आये हैं, उन्हें भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सभी पार्टियों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या बहुत कम है।

Question is—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).

and

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sitting).

The motion was carried.

(ii) नियम 231, 233, 235 और 270 के निलम्बन संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 to suspend rule 231, 233, 235 and 270.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the provisions of rule 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the—

(i) Committee On Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the remaining period of the year 1999-2000 in respect of Committee on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended.

Sir, I beg to move—

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the Estimates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and all members of the aforesaid Committees for the year 2000-2001, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of rule 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the—

(i) Committee On Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the remaining period of the year 1999-2000 in respect of Committee on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended.

and

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the Estimates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and all members of the aforesaid Committees for the year 2000-2001, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of rule 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the—

(i) Committee On Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the remaining period of the year 1999-2000 in respect of Committee on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended.

and

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the Estimates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and all members of the aforesaid

Committees for the year 2000-2001, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Panchayati Raj (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 7 of 1999).

The Haryana Municipal (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 8 of 1999).

The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 9 of 1999).

The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 1 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 2 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 3 of 2000).

Sir, I also beg to re-lay on the Table—

The Power Department Notification No. S.O.106/H.A.10/98/S/23,24,25/98, dated the 14th August, 1998 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.111/H.A.10/98/S.55/98, dated the 16th August, 1998 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise & Taxation Department notification No. G.S.R.35/H.A.20/73/S.64/99, dated 31st March, 1999, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise & Taxation Department notification No. G.S.R.47/H.A.20/73/S.64/99, dated 18th May, 1999, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No. S.O.156/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

[Shri Sampat Singh]

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R.70/Const./Art.320/Amd.(1)/99, dated the 2nd July, 1999 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1999 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Power Department Notification No. S.O.186/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.213/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the 18th October, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

Sir, I also beg to lay on the table—

The Power Department Notification No. S.O.235/H.A.10/1998/S.23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.244/H.A.10/1998/S.23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Local Government Department Notification No. G.S.R.42/H.A./16/1994/S67/98, dated the 30th September, 1998 regarding the Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 10th March, 2000.

*17.19 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 10th March, 2000)

31766–H.V.S.–H.G.P. Chd.

Committees for the year 2000-2001, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Panchayati Raj (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 7 of 1999).

The Haryana Municipal (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 8 of 1999).

The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 9 of 1999).

The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 1 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 2 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 3 of 2000).

Sir, I also beg to re-lay on the Table—

The Power Department Notification No. S.O.106/H.A.10/98/S/23,24,25/98, dated the 14th August, 1998 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.111/H.A.10/98/S.55/98, dated the 16th August, 1998 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise & Taxation Department notification No. G.S.R.35/H.A.20/73/S.64/99, dated 31st March, 1999, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise & Taxation Department notification No. G.S.R.47/H.A.20/73/S.64/99, dated 18th May, 1999, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No. S.O.156/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

[Shri Sampat Singh]

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R.70/Const./Art.320/Amd.(1)/99, dated the 2nd July, 1999 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1999 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Power Department Notification No. S.O.186/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.213/H.A.10/98/Ss 23,24,25 and 55/99, dated the 18th October, 1999 as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

Sir, I also beg to lay on the table—

The Power Department Notification No. S.O.235/H.A.10/1998/S.23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O.244/H.A.10/1998/S.23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Local Government Department Notification No. G.S.R.42/H.A./16/1994/S67/98, dated the 30th September, 1998 regarding the Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 10th March, 2000.

*17.19 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 10th March, 2000)

31766–H.V.S.–H.G.P. Chd.